न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

पत्रावली संख्या : 03/25 (प्रा0पत्र)

GCMS No. : 2025/30

अनवान्

1. श्री कन्हैयालाल पिता श्री हीरालाल जी पालीवाल मृतक के बजाय –
   - 1/1 श्री श्यामलाल पिता श्री कन्हैयालाल जी पालीवाल, उम्र 40 वर्ष, निवासी गुडली, तहसील मावली जिला उदयपुर
   - 1/2 श्री दिनेशचन्द्र पिता श्री कन्हैयालाल जी पालीवाल, उम्र 37 वर्ष, निवासी गुडली, तहसील मावली जिला उदयपुर

.............प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री भंवरलाल पिता हीरालाल जी पालीवाल मृतक के बजाय :–
   - 1/1 श्री शिवशंकर पिता श्री भंवरलाल जी पालीवाल, उम्र वयस्क, निवासी गुडली, तहसील मावली जिला उदयपुर
   - 1/2 श्री पूर्णाशंकर पिता श्री भंवरलाल जी पालीवाल, उम्र वयस्क, निवासी गुडली, तहसील मावली जिला उदयपुर
   - 1/3 श्री प्रेमशंकर पिता श्री भंवरलाल जी पालीवाल, उम्र वयस्क, निवासी गुडली, तहसील मावली जिला उदयपुर
   - 1/4 श्री ओम प्रकाश पिता श्री भंवरलाल जी पालीवाल, उम्र वयस्क, निवासी गुडली, तहसील मावली जिला उदयपुर
   - 1/5 श्रीमती गंगा बाई बेवा श्री भंवरलाल जी पालीवाल, उम्र वयस्क, निवासी गुडली, तहसील मावली जिला उदयपुर
   - 1/6 श्रीमती कमला पुत्री श्री भंवरलाल जी पालीवाल पत्नी हरिशंकर जोशी उम्र वयस्क, निवासी ब्रहाम्णो का खेरवाडा तहसील झाड़ोल जिला उदयपुर
2. श्री मनोहर लाल पिता हीरालाल जी पालीवाल मृतक के बजाय :–
   - 2/1 श्री लक्ष्मीनारायण पिता श्री मनोहर लाल जी पालीवाल, उम्र वयस्क, निवासी गुडली, तहसील मावली जिला उदयपुर
   - 2/2 श्रीमति कला बाई पुत्री श्री मनोहर लाल जी पालीवाल पत्नी श्री डालचंद जी जोशी, उम्र वयस्क, निवासी गुडली, तहसील मावली जिला उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:27:41 IST
Reason: SelfAttested

2/3 श्रीमति प्रेमलता पुत्री श्री मनोहर लाल जी पालीवाल पत्नी श्री सत्यनारायण जी पुरोहित, उम्र वयस्क, निवासी गोदाणा तहसील झाडोल (फलासिया)

2/4 श्रीमति अंजना पुत्री श्री मनोहर लाल जी पालीवाल पत्नी श्री हेमन्त जी जोशी, उम्र वयस्क, निवासी गांव डिप्टी तहसील राजसमंद जिला राजसमंद

2/5 श्रीमति अनतिमा पुत्री श्री मनोहर लाल जी पालीवाल पत्नी श्री शिवनारायण जी पुरोहित, उम्र वयस्क, निवासी गोदाणा तहसील झाडोल (फलासिया)

2/6 श्रीमति सीता देवी पत्नी श्री मनोहर लाल जी पालीवाल, उम्र वयस्क, निवासी गुडली, तहसील मावली जिला उदयपुर

3. श्री राम लाल पिता हीरालाल जी पालीवाल मृतक के बजाय :–

3/1 श्रीमति गायत्री देवी पत्नी स्व. श्री रामलाल जी पालीवाल, उम्र वयस्क, निवासी प्लॉट नं. 6, गौरव पब्लिक सकूल के सामने, न्यू जोशी कॉलोनी, ब्रह्मपुरी, जयपुर।

3/2 श्री कैलाश पुत्र स्व. श्री रामलाल जी पालीवाल, उम्र वयस्क, निवासी प्लॉट नं. 6, गौरव पब्लिक सकूल के सामने, न्यू जोशी कॉलोनी, ब्रह्मपुरी, जयपुर।

3/3 श्रीमति मोनू देवी पुत्री स्व. श्री रामलाल जी पालीवाल पत्नी श्री रवि जोशी, उम्र वयस्क, निवासी जमीदार कॉलोनी, रामटेकरी, मंदसोर (म. प्र.)

3/4 श्रीमति रेणु देवी पुत्री स्व. श्री रामलाल जी पालीवाल पत्नी श्री रमेशचन्द्र जी जोशी, उम्र वयस्क, निवासी डिप्टी, तहसील राजसमंद जिला राजसमंद

3/4/1 श्री विजय जोशी पिता रमेशचन्द्र जोशी निवासी डिप्टी तहसील राजसमन्द जिला राजसमन्द

3/4/2 श्रीमती प्रेरणा जोशी पिता रमेशचन्द्र जोशी निवासी डिप्टी तहसील राजसमन्द जिला राजसमन्द

................विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री सुशील कुमार ओस्तवाल, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री शंकरलाल डांगी, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1/1 से 2/6
3. श्रीमती निर्मला पालीवाल, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 3/1 से 3/3

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 10.11.2025

1. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस [illegible] कि राजस्व ग्राम गुडली तहसील मावली जिला उदयपुर के आराजी नम्बर 328 रकबा [illegible] 3 बिस्वा, आराजी नम्बर 329 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Puhadia
Date: 2025.12.05 11:27:41 IST
Reason: SelfAttested

4 बिस्वा, आराजी नम्बर 331 रकबा सवा बीघा 3 बिस्वा, आराजी नम्बर 332 रकबा सवा बीघा 1 बिस्वा, आराजी नम्बर 333 रकबा 3 बीघा, आराजी नम्बर 345 रकबा सवा बीघा, आराजी नम्बर 346 रकबा 1 बीघा, आराजी नम्बर 408 रकबा पोन बीघा, आराजी नम्बर 409 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, आराजी नम्बर 410 रकबा पाव बीघा 3 बिस्वा कुल किता 10 कुल रकबा साढे तेरह बीघा दो बिस्वा भूमि स्थित है। उक्त जमीन के मालिक काबिज व खातेदार काश्तकार हीरालाल पिता गणेशराम पालीवाल थे तथा उक्त जमीन पर उन्हीं का कब्जा था। ये जमीन इनकी खरीदी हुई थी। इसलिए हीरालाल जी पालीवाल ने उक्त जमीन की वसीयत दिनांक 15.08.1984 को वादी कन्हैयालाल के हक में निष्पादित कर उसका पंजीयत दिनांक 16.08.1984 को करा दिया गया था तथा उक्त कुलिया जायदाद की वसीयत कन्हैयालाल के हक में कर दी थी। इस कारण उक्त जमीन का मालिक काबिज व कानूनी खातेदार काश्तकार कन्हैयालाल पिता हीरालाल पालीवाल थे।

2. यह कि हीरालाल पिता गणेशराम जी में उक्त जमीन की वसीयत कन्हैयालाल पिता हीरालाल जी के हक में कर दी थी तथा उनके स्वर्गवास होते ही कन्हैयालाल पिता हीरालाल उक्त जमीन के मालिक काबिज व कानूनी खातेदार काश्तकार हो गये थे परन्तु भंवरलाल जी ने पटवारी हल्का से मिलकर हीरालाल जी के बजाय कथित जमीन का म्यूटेशन चारों भाईयों के नाम करवा लिया जिसके विरूद्ध कन्हैयालाल जी ने अपील उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर के यहां की तथा इस जमीन के सम्बन्ध में एक दावा भी कन्हैयालाल जी ने भंवरलाल, मनोहरलाल व रामलाल के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर के यहां पेश कर दिया जो बाद में ट्रान्सफर होकर उपखण्ड अधिकारी मावली के यहां आया। म्यूटेशन की अपील में जो कन्हैयालाल जी द्वारा तीनों भाईयों के विरूद्ध की गई थी उसमें आदेश दिया गया कि रेग्युलर वाद पेश हो चुका है इस कारण म्यूटेशन की समरी कार्यवाही स्टे की जाती है। इस कारण उक्त जमीन प्रार्थीगण के खाते नहीं हो सकी।

3. यह कि कन्हैयालाल ने एक वाद भंवरलाल, मनोहरलाल व रामलाल के विरूद्ध सिविल न्यायाधीश (व.खं.) मावली के यहां स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया जिसके वाद सं. 20/98 है जिसका फैसला दि. 19–09–2005 को हुआ जिसमें वाद वसीयत के आधार पर पेश किया गया था। उसमें कुल सात तनकियात कायम की गई तथा तनकी नम्बर 6 यह कायम की गई कि क्या वादी के पिता हीरालाल की वसीयत दि. 15–08–1984 फर्जी है जिसको साबित करने का भार प्रतिवादी पर रखा गया था। कथित तनकी में यह तय किया गया कि वसीयत फर्जी होने [illegible] प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य में कोई कथन नहीं किया गया है और न ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य इस बाबत् पेश की गई है

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:27:41 IST
Reason: SelfAttested

इससे माना जाये कि वसीयत फर्जी हो। यह वसीयत पंजीकृत दस्तावेज है तथा यह पंजीकृत दस्तावेज गवाहान की साक्ष्य से साबित है को केवलमात्र मौखिक साक्ष्य के आधार पर फर्जी नहीं माना जा सकता अतः हीरालाल की वसीयत दि. 16–08–1984 फर्जी हो। प्रतिवादीगण प्रमाणित नहीं कर पाये हैं। इससे स्पष्ट है कि वसीयत फर्जी नहीं होकर वेलीड है तथा इसके आधार पर प्रार्थीगण उक्त जमीन के मालिक काबिज व कानूनी खातेदार काश्तकार हैं। उक्त जमीन से विपक्षीगण का दूर दूर तक कोई सम्बन्ध नहीं है परन्तु उक्त जमीन पटवारी हल्का से मिलकर भंवरलाल ने चारों भाईयों के नाम खाते करवा ली व वसीयत के तथ्य को छिपा दिया इस कारण अब कानून को हाथ में लेकर विपक्षीगण उक्त जमीन को जोरजबरदस्ती बेचना चाहते हैं व इस पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं जिनका उन्हें कोई हक व अधिकार नहीं है।

4. यह कि दिनांक 17–11–2024 को विपक्षीगण जबरन जमीन पर आये व कहा कि ये जमीन तो हमारे खाते हैं तुम्हारा केस चल रहा होगा हम इस पर कब्जा कर रेडीमेड बाउण्ड्री बना देते हैं व उस उद्देश्य से मौके पर आये व जे.सी.बी से सफाई करने लगे तो प्रार्थीगणों ने थाने में शिकायत की तो थानेदार साहब ने मौके पर आकर काम रूकवा दिया जिस पर प्रतिवादीगण ने काम बन्द कर दिया व बाद में दि. 01–12–2024 को वापस आये व जे.सी.बी. से झाडियें साफ कर ट्रैक्टर से खेत हांकने गये जिस पर प्रार्थीगण वापस थाने में गये तो विपक्षीगण को रोक दिया गया तथा दि. 15–01–2025 को वापस मौके पर आये तो प्रार्थीगण ने वापस शिकायत एस.एच. ओ के यहां पर की उन्होने कहा कि नामान्तरकरण का स्टे है आप न्यायालय से स्थगन लेकर आवे तभी काम रोक सकते हैं। जिसके विरूद्ध प्रार्थीगण ने शिकायत एस.पी. साहब के यहां की क्योंकि विपक्षीगण ने रेडीमेड बाउण्ड्री का काम चालू कर दिया व कहा कि पुलिस वालों से हम मिल गये हैं हमारा वो काम नहीं रोक सकते हैं जिस पर हम दिनांक 21–01–2025 को डी.वाई.एस.पी साहब से मिले तो उन्होंने भी कहा कि आप न्यायालय से वाद चल रहा है तो तुरन्त स्टे लेकर आओ जिस पर प्रार्थीगण द्वारा तुरन्त अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है।

5. यह कि विपक्षीगण मौके पर मारोमार काम करवाना चाहते हैं अगर उन्हें अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा नहीं रोका गया तो वे जबरन बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण कार्य कर देगें तथा जमीन को हांक देगें या जमीन का रूपान्तरण करवा देगें अथवा जमीन का विक्रय कर देगें। लाइट कनेक्शन ले लेगें क्योंकि जमीन उनके खाते हैं जो अनावश्यक मुकदमेबाजी बढेगी व प्रार्थीगण को बड़ा भारी नुकसान होगा जिसका एवजाना नकदी में नहीं आंका जा सकेगा एवं उसकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकेगी। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला है उनकी रजिस्टर्ड वसीयत सिविल कोर्ट से वेलीड मान ली गयी है इस आधार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Punadia
Date: 2025.12.05 11:27:41 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण उक्त जमीन के मालिक काबिज व कानूनी खातेदार काश्तकार हैं। सुविधा सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है अगर दौराने कार्यवाही विपक्षीगण द्वारा जबरन कब्जा कर प्रार्थीगण को बेदखल कर दिया गया तो अनावश्यक मुकदमेबाजी बढेगी या बाउण्ड्रीवॉल बनाकर जमीन की बुवाई कर दी गई तो प्रार्थीगण को बडा भारी नुकसान होगा इसके विपरीत विपक्षीगण का उक्त जमीन से कोई सम्बन्ध नहीं है। तथा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से विपक्षीगण को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में है।

6. अंत में निवेदन किया की ताफैसला मूल वाद प्रार्थीगण के हक में व विपक्षीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र के पेरा नम्बर 4 में वर्णित सम्पत्ति के सम्बन्ध में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावे कि विपक्षीगण पेरा नम्बर 4 में वर्णित जमीन में जबरन प्रवेश नहीं करे वहां कोई रेडीमेड बाउण्ड्रीवॉल या अन्य बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण कार्य न स्वयं करे न अन्य किसी से करावे एवं उक्त जमीन को न रूपान्तरित करवावें, न ही उस पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य करें एवं उक्त जमीन का हस्तान्तरण किसी अन्य के हक में न स्वयं करें न किसी अन्य से करावें तथा किसी को किराये नही देवें व किसी के हक में रहन, बेह, बक्षीस आदि न स्वयं करें न किसी से करावें।

7. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 3/1, 3/2 की और से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया की आज की तारीख में माननीय न्यायालय के समक्ष कोई वाद उपरोक्त उनवानी पेडिंग नहीं है चूंकि इसमे वादी/प्रार्थी ने इस मद में कथन किया है कि दिनांक 21.04.2011 के आदेश के खिलाफ मुकदमा रेवेन्यू बोर्ड में चल रहा है और पत्रावली वहाँ गई हुई है। चूंकि पत्रावली राजस्व मंडल अजमेर में चल रही है और जब तक राजस्व मंडल अजमेर में आवेदन कन्हैयालाल जी का प्रस्तुत होकर उनके वारिसान को रिकार्ड में नही लिया जाता है। तब तक माननीय न्यायालय को यह अध्किार नहीं है कि बिना वाद की पत्रावली उनके समक्ष प्रस्तुत हुये बिना यह प्रार्थना पत्र कायम मुकाम स्वीकार कर मृतक के वारिसो की ओर से कोई कार्यवाही कर सके। इसलिये श्री भंवर लाल, मनोहर लाल तथा रामलाल जी ने वारिसो को मूल दावे के अथक राजस्व मंडल अजमेर की पत्रावली में जब तक रिकार्ड में नहीं लिया जाये तब तक न्यायालय के समक्ष कोई आवेदन कायम मुकाम की तरफ से अथवा कायम मुकाम के खिलाफ पारित नही किया जा सकता। चूंकि कन्हैयालाल के पास जो सम्पत्ति वादीगण बता रहे है वह सम्पत्ति पुश्तैनी एवं पूर्वजो की सम्पत्ति थी, जिसके लिये कोई वसीयत दिनांक 15.08.84 नही करवाया जा [illegible] था। चूंकि वसीयत के संबंध में माननीय न्यायालय निर्णय अंतिम नहीं हुआ है [illegible] मुकदमा अभी राजस्व मंडल में पेंडिग है

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:27:41 IST
Reason: SelfAttested

जिसमें निर्णय नही हुआ है इसलिये वसीयत के आधार पर किसी भी प्रकार के हक मांगने का अधिकारी प्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा के स्तर पर नहीं है। इसलिये कन्हैयालाल जी अकेले को सम्पत्ति का अधिकार नही माना जा सकता। स्व. हीरालाल जी के समस्त वारिसान के नाम उनके हक हिस्सेनुसार आज भी भूमि राजस्व इन्द्राज में मौजूद है तथा जिस प्रकार राजस्व इन्द्राज है उसी अनुसार मिन उत्तरदातागण अपने हक हिस्से पर काबिज काश्त है। चूंकि मूलवाद में रेस्ट्रामेन्ट चलेज किया हुआ है जिसका निर्णय शेष है ऐसी स्थिति में रेस्टामेंट आधार पर कोई कार्यवाही नही जा सकती है।

8. विशेष कथन में निवेदन किया की प्रार्थना पत्र में दर्ज धारा 212 राजस्थान काश्तकारी आदेश 1955 स्वयं में इस बात का वर्णन है कि जब कोई कार्यवाही या वाद किसी न्यायालय में लम्बित हो तब ही वहां धारा 212 का आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है चूंकि इस प्रस्तुत प्रकरण में धारा 212 के अनुसार उक्त आवेदन तथा कायम मुकाम आवेदन पत्रावली राजस्व मंडल अजमेर में लम्बित होने से यह समस्त कार्यवाही राजस्व मंडल अजमेर में ही किये जाने योग्य है। अंत में निवेदन किया की जवाब को स्वीकार फरमाया जावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

9. विपक्षी संख्या 2/1 की और से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया की प्रार्थीगण ने विपक्षीगण के विरूद्ध कोई घोषणा एवं निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत नहीं कर रखा है, न कोई वाद पेण्डिग है। प्रार्थीगण द्वारा इस कलम में कथन किया है कि दिनांक 24.04.2011 के आदेश के खिलाफ मुकदमा रेवेन्यु बोर्ड में चल रहा है और पत्रावली वहां गई हुई है, उस वाद में प्रार्थीगण पक्षकार नहीं है। कन्हैयालाल के प्रार्थीगण के अलावा अन्य वारीसान मौजुद है, लेकिन उन्हे भी इस प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाये गये है तथा प्रार्थीगण के अलावा जो वारीसान है, उनका भी कोई वाद इस न्यायालय में पेण्डिंग नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा बताये जा रहे वाद में भंवरलाल, मनोहरलाल, रामलाल के वारीसान को पक्षकार नहीं बनाया गया है। उक्त आराजीयात पुश्तैनी जायदाद है, जिसकी वसीयत करने का हीरालाल जी को कोई अधिकार नहीं था, यह जमीन हीरालाल जी की खरीदशुदा नहीं है. इन आराजीयात के सम्बन्ध में हीरालाल जी ने तारीख 15.08.1984 को कन्हैयालाल जी के हक में कोई वसीयत की गई हो तो वह बिना अधिकार के है व इस वसीयत से कन्हैयालाल को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं हुऐ है। हीरालाल जी की मृत्यु बाद उक्त आराजीयात विरासत से उनके सभी [illegible] यानि कन्हैयालाल, भंवरलाल, मनोहरलाल, रामलाल के नाम नामान्तरकरण खोला [illegible] स्वीकृत किया गया है, तब से हीरालाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:27:41 IST
Reason: SelfAttested

जी के सभी पुत्र कन्हैयालाल, भंवरलाल, मनोहरलाल, रामलाल के खातेदारी एवं आधिपत्य में चली आई है, भंवरलाल जी की मृत्यु बाद भंवरलाल जी के हिस्से की भूमि पर भंवरलाल जी के वारीसान हिस्से अनुसार काबिज चले आ रहे है तथा रामलाल जी की मृत्यु बाद रामलाल जी के हिस्से की भूमि पर रामलाल जी के वारीसान हिस्से अनुसार काबिज चले आ रहे है तथा इसी तरह मनोहरलाल जी की मृत्यु बाद मनोहरलाल जी के हिस्से की भूमि पर मनोहरलाल जी के वारीसान हिस्से अनुसार काबिज चले आ रहे है तथा इसी तरह कन्हैयालाल की मृत्यु बाद कन्हैयालाल के हिस्से की भूमि पर कन्हैयालाल के सभी वारीसान जिसमें प्रार्थीगण भी शामिल है, काबिज चले आ रहे हैं।

10. यह कि हीरालाल जी को कन्हैयालाल के पक्ष में विवादित जमीन के सम्बन्ध में वसीयत करने का अधिकार नहीं था, न कन्हैयालाल अकेले के नाम वसीयत करने का कोई कारण ही था, वसीयत देखने से ही स्पष्ट है कि वसीयत संदिग्ध है। प्रार्थीगण द्वारा बताई जा रही वसीयत हीरालाल जी ने स्वतन्त्र इच्छा से नहीं की है।

11. यह कि प्रार्थीगण के कथनानुसार कथित वाद माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान में विचाराधीन है, ऐसी अवस्था में प्रार्थीगण को इस न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है, इसके अलावा भी विपक्षीगण को जो जानकारी मिली है। उसके अनुसार उस प्रकरण में कन्हैयालाल जी द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है, जो खारीज हो चुका है, ऐसी अवस्था में प्रार्थीगण द्वारा अब इस न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र कानूनी प्रावधानों के विपरीत जाकर प्रस्तुत किया है, जो चलने योग्य नहीं है, प्रार्थीगण किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा चाहते है तो माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विधिवत आदेश प्राप्त कर सकते है, इस न्यायालय में जब वाद ही पेण्डिग नहीं है तो यह प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। प्रार्थीगण का यह कहना गलत है कि हीरालाल जी की मृत्यु बाद भंवरलाल ने पटवारी हल्का से मिलकर चारों भाईयों के नाम नामान्तरकरण खुलवाया हो। इस नामान्तरकरण के विरूद्ध कन्हैयालाल द्वारा की गई अपील कन्हैयालाल जी द्वारा किये गये वाद के निर्णय तक स्थगित रखे जाने का आदेश पारीत किया गया हैं। नामान्तरकरण की अपील में कन्हैयालाल के रेगुलर वाद के निर्णय तक नामान्तरकरण की कार्यवाही स्टे की गई है। सिविल वाद का निर्णय कन्हैयालाल के विरूद्ध हुआ है, यानि कन्हैयालाल का वाद खारिज किया गया हैं। अतः जबरन बाउण्ड्रीवाल का निर्माण करने, जमीन को हांक देने व जमीन का रूपान्तरण करवाने तथा विक्रय कर [illegible] लाईट कनेक्शन लेने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। प्रार्थीगण न्यायालय से [illegible] निषेधाज्ञा प्राप्त कर विपक्षीगण को

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:27:41 IST
Reason: SelfAttested

विवादित जमीन से बैदखल करने की नियत रखता है, यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई तो प्रार्थीगण विपक्षीगण को जबरन बैदखल कर देंगे व बाउण्ड्रीवाल को तोड़ देंगे। जिससे विपक्षीगण को भारी नुकसान होगा, जिसकी क्षतिपुर्ति किसी भी तरह से नहीं की जा सकेगी। अंत में निवेदन किया की प्रार्थीगण का कथित प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारीज फरमाया जावे तथा विपक्षीगण को प्रार्थीगण से विशेष हर्जा खर्चा दिलाया जावे।

12. प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा लिखित बहस में जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दौहराते हुए निवेदन किया की प्रकरण में वर्णित भूमि पर काबिज व खातेदार काश्तकार हीरालाल पिता गणेशलाल जी पालीवाल थे तथा जमीन पर उन्हीं का कब्जा था, ये जमीन हीरालाल जी की खरीदशुदा जमीन है इसलिए हीरालाल जी पालीवाल को उक्त जमीन की वसीयत दि. 15–08–1984 को वादी कन्हैयालाल के हक में निष्पादित कर उसका पंजीयन दि. 16–08–1984 को करा दिया गया था तथा हीरालाल जी की कुलिया जायदाद की वसीयत हीरालाल जी ने कन्हैयालाल के हक में कर दी थी इस कारण उक्त जमीन का मालिक काबिज व कानूनी खातेदार काश्तकार कन्हैयालाल पिता हीरालाल जी पालीवाल थे तथा कथित जमीन की वसीयत कन्हैयालाल पिता हीरालाल जी पालीवाल के हक में की गयी थी एवं उस वसीयत का पंजीयन भी उपपंजीयक उदयपुर के यहां करवाया गया उक्त जमीन के सम्बन्ध में वादी कन्हैयालाल ने एक दावा उप जिला कलक्टर वल्लभनगर के यहां घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया एक दूसरा दावा कन्हैयालाल ने सिविल न्यायाधीश (व. खं) मावली के यहां उक्त जमीन बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया जिसमें पक्षकार भंवरलाल, मनोहरलाल, रामलाल, ये तथा उसमें तनकी नम्बर 6 इस प्रकार बनी थी की क्या वादी के पिता हीरालाल जी की वसीयत दिनांक 15–08–1984 फर्जी है ? जिम्मे प्रतिवादी, सिविल कोर्ट ने दावा, जवाब दावा, तनकियात व दोनों पक्षों की शहादत लेकर बहस सुनकर यह आदेश दिया कि भंवरलाल ने ऐसी कोई सबूत पेश नहीं की जिससे यह लगता हो कि वसीयत फर्जी है तथा वसीयत को उस आधार पर निरस्त किया जा सकता हो इस कारण सिविल कोर्ट ने वसीयत को सही मानते हुए वादी कन्हैयालाल का वाद स्वीकार कर दिया जिससे सिविल कोर्ट से वसीयत वैधानिक होना मान लिया गया है। इस मामले में कन्हैयालाल का स्वर्गवास हो जाने से उनके वारिसान द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसमें बताया कि प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा चला [illegible] है तथा कन्हैयालाल ने वसीयत मौजूदा प्रार्थीगण के हक में की इस कारण कन्हैयालाल जी के टेस्टामेन्ट्री सक्शेसन से

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:27:41 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण वारिस होने से उन्हें प्रार्थीगण बनाया गया है। म्यूटेशन की अपील कन्हैयालाल द्वारा तीनों भाईयों के विरूद्ध की गयी थी इस कारण उसमें आदेश दिया गया कि रेग्युलर वाद पेश हो चुका है इस कारण म्यूटेशन की समरी कार्यवाही स्टे की जाती है। मूल दावा एस.डी.ओ कोर्ट मावली के यहां चल रहा है उसमें अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसमें वादी/प्रार्थी के हक में एकतरफा बहस सुनकर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की तथा प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि उक्त जमीन से विपक्षीगण का दूर दूर तक कोई सम्बन्ध नहीं है। उक्त जमीन पटवारी हल्का से मिलकर भंवरलाल ने चारों भाईयों के नाम खाते करवा ली व वसीयत के तथ्य को छिपा दिया इस कारण अब उक्त जमीन खाते में विपक्षीगण के नाम दर्ज हो जाने से व मौके पर विपक्षीगण का कब्जा नहीं होने से विपक्षीगण उक्त जमीन को जोरजबरदस्ती बेचना चाहते हैं व इस पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं जिनका उनको कोई हक व अधिकार नहीं है वास्तव में प्रार्थीगण उक्त जमीन के मालिक काबिज व कानूनी खातेदार काश्तकार हैं तथा विपक्षीगण का इस जमीन से कोई सम्बन्ध नहीं होने से उनके विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाना आवश्यक है कि वो उक्त जमीन का हस्तान्तरण किसी अन्य के हक में न स्वयं करें न किसी अन्य से करावें तथा मौके पर प्रार्थीगण के हक में किसी प्रकार से न स्वयं दस्तअन्दाजी करें न किसी अन्य से करावें। अंत में निवेदन किया की प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाया जाकर ताफैसला वाद प्रार्थीगण के हक में व विपक्षीगण के विरूद्ध वाद में वर्णित जमीन के सम्बन्ध में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावे कि विपक्षीगण उक्त जमीन का हस्तान्तरण किसी अन्य के हक में न स्वयं करे न किसी अन्य से करावें तथा उक्त जमीन के प्रार्थीगण के कब्जे एवं शान्तिपूर्ण उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा न स्वयं पैदा करे न किसी अन्य से करावें। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आर. आर. टी. 2002 (2) पेज 882, आर.आर. डी. 1998 पेज 535, आर.आर. डी. 1998 पेज 249, आर.आर. डी. 1995 पेज 730, आर.आर. डी. 1995 पेज 536, आर. बी. जे. 2018 पेज 306, आर.आर. डी. 2011 पेज 8, आर.आर. टी. 2003 (1) पेज 373, आर.आर. टी. 2006 (2) पेज 1101, आर.बी.जे 1998 (1) पेज 381 प्रस्तुत किये जिन्हें रिकॉर्ड पर रखा गया।

13. अधिवक्ता विपक्षी संख्या 3/1 व 3/2 की और से बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया की वादी कन्हैयालाल ने एक घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय में पेश किया था जो कि एक आदेश की निगरानी में [illegible] 11 से राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में चल रही है। वह [illegible] पेंडिंग नहीं [illegible] क्योंकि पत्रावली राजस्व मण्डल में गई

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:27:41 IST
Reason: SelfAttested

हुई है। ना ही प्रार्थीगण उस वाद में पक्षकार है। चारो भाईयों भंवरलाल, कन्हैयालाल, मनोहरलाल व रामलाल का निधन 2018 से 2023 के मध्य हो चुका है और किसी के भी उत्तराधिकारी वाद में आज दिनांक तक पक्षकार नही बने है। जिन आराजी नम्बर को विवादग्रस्त बताया जा रहा है वह पुश्तैनी संयुक्त हिन्दु परिवार की सम्पत्ति है। वह हीरालाल जी की स्वयं की अर्जित सम्पत्ति नही है। माननीय न्यायालय ए.डी.जे. उदयपुर जो कन्हैयालाल की अपील 25/13 में स्वीकार किया कि यह सम्पत्ति उनके पिता हीरालाल ने नही खरीदी है। हीरालाल को किसी भी प्रकार से वसीयत करने का अधिकार नही है। सन् 18.09.84 को फैमिली सेटलमेंट गांव वालो के समक्ष हुआ। इस सेटलमेंट में संवत 2023 में पारिवारिक समझोता को फिर से स्वीकार किया गया था कि 18.09.84 व संवत 2023 के समझौते में कन्हैयालाल व हीरालाल के हस्ताक्षर है। जिस दूसरे दावा जो कि सिविल न्यायाधीश उक्त जमीन बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया। यह वाद जमीन का न होकर एक मंदिर के कब्जे के लिए किया गया दावा जो कि वसीयत को आधार बना कर दावा किया गया। न्यायालय द्वारा उसे खारिज किया गया तथा इसकी अपील भी ए.डी.जे. न्यायलय द्वारा खारिज की गई। न्यायालय ने माना वसीयत लागू होने के लिए सर्वप्रथम हीरालाल जी की हैसियत बतानी होगी तथा उनकी सम्पत्ति संयुक्त हिन्दु परिवार में कितने प्रतिशत है। घोषणा करानी होगी। संयुक्त हिन्दु परिवार की सम्पत्ति है तो हीरालाल जी सम्पूर्ण सम्पत्ति की वसीयत नही कर सकते है। एक अन्य दावा जो कन्हैयालाल जी ने अपने तीनो भाईयो के खिलाफ उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर के यहां पेश किया जो कि स्थानान्तरण होकर उपखण्ड अधिकारी मावली के यहां आया उसमें कन्हैयालाल ने वसीयत को आधार बनाकर तीनों भाईयो का निरस्त कर सिर्फ उनका नामान्तरकरण खोलने का प्रार्थना पत्र (अपील) की थी जो कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा खारिज की गई तथा भाईयो का नामान्तरकरण खुला रहेगा। जब तक मूल वाद का फैसला नही आता है भाईयो के नाम डिलीट नही होगे उस पर स्टे है। ना कि भाईयो के विरासत के आधार उनके पुत्रो के नामान्तरकरण खोलने पर। सभी भाईयो का अपने अपने हिस्से पर संवत 2023 से कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थीगण ने अपने हिस्से से दीवार का निर्माण करवाया है। इसी आधार पर दिनांक 22.06.88 उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर ने धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज कर दी थी। जिसका मुकद्धमा नम्बर 20/86 है तथा इसकी अपील निर्णय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर अपील संख्या 690/88 दिनांक 05.04.90 को खारिज कर दी गई तथा द्वितीय अपील निगरानी न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर निगरानी टी.ए./11/90/उदयपुर दिनांक [illegible]3.11.92 के आदेश द्वारा खारिज कर दी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:27:41 IST
Reason: SelfAttested

गई। एक ही आधार पर एक ही वाद में दुबारा टी.आई पेश नही की जा सकती है। सीपीसी धारा 10 के अनुसार यह वर्जित है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1860 विबंधन है।

14. अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा रिबिटल में पुनः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया की प्रार्थना पत्र धारा 212 रा.टी. एक्ट के तहत चेन्ज परिस्थितियों में पेश किया गया है। इसमें यह प्रार्थना पत्र वसीयत व कब्जे के आधार पर पेश किया गया है। हीरालाल जी ने विवादग्रस्त जायदाद की वसीयत कन्हैयालाल के हक में की तथा कन्हैयालाल के हक में कथित वसीयत को पंजीबद्ध कराया गया है परन्तु हीरालाल जी के स्वर्गवास होते ही भंवर लाल ने तुरन्त म्यूटेशन हीरालाल जी के चारों लड़कों के नाम करवा लिया गया। जब 12 दिन पूरे होने के बाद कन्हैयालाल वसीयत के आधार पर म्यूटेशन खुलवाने गया तो पटवारी हल्का ने कहा कि आपके भाई भंवरलाल ने आकर हीरालाल जी के चारों लड़कों के नाम म्यूटेशन खुलवाकर स्वीकृत करा लिया इसलिए अब इसके विरूद्ध अपील करो या दावा पेश करे जिस पर प्रार्थीगण ने अपील पेश की व बाद में यह दावा भी कर दिया। म्यूटेशन की अपील में कहा गया कि दावा हो चुका है इस कारण म्यूटेशन की कार्यवाही स्टे की जाती है जिसकी निगरानी अभी भी राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के यहां जैर पैण्डिंग है तथा दावे में केवल इस आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा खारीज कर दी गयी कि खाते में चारों के नाम है तथा कब्जा चारों का ही मानते है। यह परिस्थिति सारी बदल चुकी है तथा वसीयत के आधार पर एक सिविल वाद अपर सिविल न्यायाधीश मावली के यहां पेश किया जिसमें तनकी नं. 6 बनी कि वसीयत फर्जी होकर निरस्त योग्य है तथा इसे साबित करने का भार प्रतिवादी भंवरलाल वगैरा पर रखा गया था तथा इस तनकी को तय करते समय वसीयत को फर्जी नहीं कहा गया तथा यह वसीयत निरस्त नहीं की जा सकती है यह तनकी प्रतिवादी के खिलाफ तय की गयी है तथा इस तनकी को अपील कोर्ट ने भी बहाल रखा परन्तु यह कहा गया कि इस वसीयत में मंदिर की कोई वसीयत नहीं की गयी है। इससे स्पष्ट है कि इस वसीयत को सिविल कोर्ट द्वारा सही मान लिया गया है यद्यपि मंदिर के सम्बन्ध में अपील राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में प्रार्थी द्वारा कर रखी है जो जैर पैण्डिंग है। अब यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र बदली हुई परिस्थितियों में पेश किया गया है। सिविल कोर्ट से वसीयत को फर्जी नहीं माना गया है व वसीयत बहाल रखी गयी है। वसीयत वाली सम्पत्ति पर प्रार्थीगण का कब्जा माना गया है परन्तु इसमें मंदिर की वसीयत नहीं होना कहा है। ऐसे मामले में दुबारा अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थन पत्र मेन्टीनेबल है क्यों कि यह प्रार्थना पत्र बदली हुई परिस्थितियों में पेश किया गया है। ऐसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:27:41 IST
Reason: SelfAttested

स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र व शपथ पत्र सही मानकर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाना आवश्यक है। पहले प्रार्थना पत्र के खारीज होने के बाद प्रार्थीगण ने इस जमीन के चारों तरफ बाउण्ड्रीवॉल बनाई है व एक फाटक भी बाउण्ड्रीवॉल में लगाई हुई है। इसके फोटो भी पेश किये है। साथ ही सीडी भी पेश की गयी है तथा सारी बदली हुई परिस्थितियों में प्रार्थीगण द्वारा सन् 2025 में यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है तथा कब्जा भी प्रार्थीगण का स्पष्ट रूप से है। विपक्षीगण वहां जबरन कब्जा करने आये तो थानेदार ने स्पष्ट कहा व उन्हें पाबन्द किया कि प्रार्थीगण का वसीयत के आधार पर कब्जा है व उनका कोट बना है आप वहां नहीं जावे तथा उन्हें शान्ती बनाये रखने के लिए पाबन्द भी किया गया है। ऐसी परिस्थिति में दुबारा अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पूर्ण रूप से मेन्टीनेबल है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का दूसरा अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पूर्ण रूप से स्वीकार योग्य है। अंत में निवेदन किया की प्रार्थीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ताफैसला वाद प्रार्थीगण के हक में व विपक्षीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र के पैरा नं. 4 में वर्णित सम्पत्ति के सम्बन्ध में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावे कि विपक्षीगण पैरा नं. 4 में वर्णित जमीन में जबरन प्रवेश नहीं करे एवं प्रार्थीगण की बाउण्ड्रीवाल व गेट को नुकसान नहीं पहुंचावे न ही उक्त भूमि का रूपान्तरण करावे, न ही अन्य किसी को विक्रय करें न किसी अन्य से करावे, न ही किसी के हक में किसी प्रकार का दस्तावेज ही निष्पादित करे न करावे। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा रिबिटल बहस के न्यायिक दृष्टांत A.I.R 1964 S.C. 993, A.I.R 1999 All. 277, (2004) & S.C.C. 488, A.I.R. 1960 S.C. 941, A.I.R 1998 All. 57 प्रस्तुत किये जिसे रिकॉर्ड पर रखा गया।

15. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का सद्भावनापूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज से जाहीर हो रहा है कि प्रार्थीगण के पिता कन्हैयालाल जी द्वारा वर्ष 1986 में स्वत्व घोषणा के वाद के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र 20/86 विपक्षीगण के मौरूस के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया जो उपखण्ड अधिकारी न्यायालय से दिनांक 22.06.1988 को खारीज हुआ तथा प्रार्थीगण द्वारा राजस्व अपील अधिकारी न्यायालय में अपील संख्या 690/88 प्रस्तुत की गई जो दिनांक 05.04.1990 को खारीज की गई। इस निर्णय के विरूद्ध प्रार्थीगण ने माननीय राजस्व मण्डल में निगरानी/द्वितीय अपील टी.ए. 11/90 प्रस्तुत की गई, वह भी दिनांक 26.11.1992 को खारीज की गई। प्रार्थीगण द्वारा वर्ष 1986 में प्रस्तुत

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:27:41 IST
Reason: SelfAttested

अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र दिनांक 26.11.1992 को अन्तिम रूप से राजस्व मण्डल द्वारा खारिज कर दिया गया तथा वर्ष 1992 से प्रार्थी के स्वत्व एवं कृषि कब्जे में विपक्षीगण द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया, परन्तु इन 26 वर्षो के अंतराल के बाद वर्ष 2018 से वर्ष 2023 के मध्य प्रार्थी कन्हैयालाल एवं विपक्षीगण भंवरलाल, मनोहर लाल एवं रामलाल का स्वर्गवास हो जाने के साथ विपक्षीगण के उत्तराधिकारियों ने प्रार्थीगण की भूमि पर अनाधिकार हस्तक्षेप प्रारंभ किया। इस प्रकार 26 वर्षो बाद उत्पन्न नई परिस्थितियों के मध्यनजर प्रार्थीगण द्वारा दुबारा वर्ष 2025 में यह वर्तमान अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। विपक्षीगण का यह कथन कि ''पूर्व में उपखण्ड अधिकारी से लेकर राजस्व मण्डल तक अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया जा चुका एवं रेसज्युडिकेटा के सिद्धांत से बाधित होने से दुबारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, परंतु प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत **(1) A.I.R 1964 S.C. 993, (2) A.I.R 1999 All. 277, (3) (2004) & S.C.C. 488, (4) A.I.R. 1960 S.C. 941, (5) A.I.R 1998 All. 57** में निर्णित किया गया है कि :–

"(c) Civil P.C. (1908) S 11, O9, R7, 13. O.43 R.1-Principle of Resjudiceta- Scope Explaned - O.9, R7, Nature of order under - 9 Finality to be imparted to such order - Order dose not operate as Resjudiceta in subsequent application under O9 Rule - 13 - F.A.F.O. No. 116 of 1959, dated 06.05.1963 (All) reversed."

"Interlocutoy orders are of various kinds; some like orders of stay, injunction or receiver are designed to preserve the status quo pending the litigation and to ensure that the parties might not be prejudiced by the normal delay which the proceedings before the court usually take. They do not, in that sense, decide in any manner the merits of the controversy in issue in the suit and do not, of course, put an end to it even in part. Such orders are certainly capable of being altered or varied by subsequent applications for the same relief, though normally only on proof of new facts or new situations which subsequently emerge. of parties to the litigation the principle of resjudicata does not apply to the findings on which these orders are based."

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:27:41 IST
Reason: SelfAttested

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धांत के अनुसार एक बार यथास्थिति बनाये रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज हो जाने के बाद भी कालान्तर में परिवर्तित परिस्थितियों के मध्यनजर यदि सम्पत्ति के मूल वाद के विचारण के दौरान यथास्थिति का आदेश आवश्यक हो तो पारित किया जा सकता है तथा ऐसे प्रकरण पर रेसज्युडिकेटा का सिद्धांत लागु नहीं होता है।

इस प्रकरण में भी वर्ष 1992 में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज करने के 32 वर्ष बाद मूल वाद के विचारण के दौरान वादी एवं उनके तीन भाई अप्रार्थीगण का स्वर्गवास हो जाने के बाद उनके उत्तराधिकारियों द्वारा पुनः प्रार्थीगण के साथ लड़ाई झगडा करके प्रार्थीगण से भूमि का कब्जा छिनने की कोशिश करने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न नई परिस्थितियों में मूल वाद के विचारण संबंधी उपखण्ड अधिकारी न्यायालय में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र दुबारा प्रस्तुत किया गया है, जो न्यायालय के विनम्र अभिमत में उपर वर्णित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत के अनुसार चलने योग्य है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के अंतिम निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है जो इस प्रकार है :–

1. ***<u>प्रथम दृष्टया मामला–</u>*** प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा अपने निर्णय में यही अंकित किया गया था कि वादी को साक्ष्य के आधार पर यह प्रमाणित करना है कि यह भूमि उसके पिता हीरालाल की स्वअर्जित भूमि है, जिसे वह अकेला वादी के पक्ष में वसीयत करने में सक्षम था तथा वादी को वसीयत भी प्रमाणित करवानी है। अर्थात पूर्व के प्रार्थना पत्र में स्वअर्जित सम्पत्ति एवं वसीयत प्रमाणीकरण से संबंधित कोई साक्ष्य नही होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया था। इस कारण से सर्वप्रथम इन्ही बिन्दुओ पर पुनः विवेचन किया जाना उचित होगा, जो निम्नानुसार है :–

प्रार्थीगण का कथन है कि वादग्रस्त भूमि हमारे दादाजी हीरालाल पिता गणेशराम की स्वअर्जित भूमि है। हमारे दादाजी हीरालाल पिता गणेशराम द्वारा उक्त भूमि की वसीयत हमारे पिता कन्हैयालाल के पक्ष में की गई थी। इस विचाराधीन भूमि से लगी हुई अन्य 3 बिस्वा बिलानाम भूमि में बने हुए मंदिर कि स्वत्व घोषणा का वाद संख्या 20/1998 निर्णय दिनांक 19.09.2005 सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मावली, जिला उदयपुर (राज.) प्रार्थीगण द्वारा इन्हीं विपक्षीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया जिसमें विपक्षीगण ने हीरालाल जी द्वारा प्रार्थी कन्हैयालाल जी के पक्ष में निष्पादित वसीयत को

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:27:41 IST
Reason: SelfAttested

फर्जी बताने पर तनकी संख्या 6 बनायी गयी :– **''क्या वादी के पिता हीरालाल की वसीयत दिनांक 15.08.1984 फर्जी है'' जिसको प्रमाणित करने का भार प्रतिवादीगण अर्थात विपक्षीगण पर था, इस पर माननीय सिविल न्यायालय ने निर्णित किया कि– वसीयत फर्जी होने बाबत् प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य में कोई कथन नहीं किया गया है और न ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य इस बाबत् पेश कि गई जिससे माना जावे कि वसीयत फर्जी है। वसीयत दिनांक 16.08.1984 एक पंजीकृत दस्तावेज है। एक पंजीकृत दस्तावेज जो कि गवाहन के साक्ष्य से साबित है, को केवल मात्र मौखिक कथन के आधार पर फर्जी नहीं माना जा सकता।** इस प्रकार सिविल न्यायालय ने पंजीकृत वसीयत को सही होना वर्तमान प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रमाणित किया। अतः यह वसीयत सिविल न्यायालय द्वारा पंजीकृत दस्तावेज होने के आधार पर प्रमाणित है।

विपक्षीगण ने हीरालाल जी द्वारा प्रार्थी कन्हैयालाल के पक्ष में वसीयत निष्पादित किये जाने की परिस्थितियों का स्पष्ट उल्लेख नही होना बताकर तथा भूमि को पैतृक सम्पत्ति बताकर हीरालाल जी को एक पुत्र प्रार्थी कन्हैयालाल के पक्ष में वसीयत निष्पादित करने के लिए अधिकृत नहीं बता रहे है, परंतु पंजीकृत वसीयत दिनांक 16.08.1984 से स्पष्ट हो रहा है कि तीनों विपक्षीगण अपने पिता हीरालाल जी से अलग मकान बनाकर निवास कर रहे थे। अपनी कमाई अपने पास अलग रख रहे थे। हीरालाल जी के लेनदेन एवं कर्जे को उतारने में उनका कोई सहयोग नहीं था। हीरालाल जी का भरण पोषण का उत्तरदायित्व भी प्रार्थी कन्हैयालाल ने निभाया तथा वसीयतकर्ता हीरालाल ने अपने अंतिम संस्कार उत्तरक्रिया धर्मशास्त्र के अनुसार सम्पन्न करने हेतु भी प्रार्थी वसीयतग्रहीता कन्हैयालाल को ही अधिकृत किया है। अतः हीरालाल जी द्वारा अपनी स्वअर्जित भूमि, सम्पत्ति की वसीयत अपने एक पुत्र कन्हैयालाल प्रार्थी के पक्ष में निष्पादित की गई एवं हीरालाल जी ने ये वसीयत अपने एक मात्र पुत्र कन्हैयालाल के पक्ष में निष्पादित करने की परिस्थितियां स्पष्ट कर दी गई है।

प्रकरण में वर्णित भूमि पैतृक भूमि है या नही? इस संबंध में न्यायालय का विवेचन है कि विपक्षीगण वाद एवं वसीयत में विचाराधीन भूमि को पैतृक सम्पत्ति बता रहे है परन्तु उसके लिए विपक्षीगण द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। इसके विपरीत प्रार्थी द्वारा महकमा बन्दोबस्त राज्य मेवाड, उदयपुर की संवत् 1983 सन् 1927 की खसरा नंबर 1408/1 रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा भूमि की जमाबन्दी उंकार भोला पिता नेहर डांगी के नाम की प्रस्तुत कि गई। इसी उंकार भोला पिता नेहर डांगी से हीरालाल जी ने संवत् 2005 सन् 1948 में विचाराधीन भूमि खरीदी उसकी लिखापढ़ी एवं भूमि हीरालाल जी के नाम पर दर्ज होने संबंधी [illegible]करण फोटोप्रति संवत 2006 एवं खसरा गिरदावरी संवत् 2010 से 2013 की प्रति प्रस्[illegible] जिससे प्रथम दृष्टया यह पाया जाता

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:27:41 IST
Reason: SelfAttested

है कि वसीयतकर्ता हीरालाल जी ने यह भूमि उंकार भोला डांगी से खरीदी एवं अपने नाम जमाबन्दी में अंकित करायी जिससे यह भूमि उनकी स्वअर्जित भूमि होना प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है तथा स्वअर्जित भूमि की वसीयत कोई भी व्यक्ति अपनी ईच्छा अनुसार किसी भी व्यक्ति के नाम पर वसीयत कर सकता है। शेष बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य एवं सबूत के आधार पर तय किये जा सकते है।

विपक्षी संख्या 03 द्वारा अपनी लिखित बहस में यह अंकित कर रहे है कि ''विचाराधीन भूमि के बाबत् प्रार्थी एवं प्रार्थी के तीन भाई विपक्षीगण के मध्य दिनांक 18.09.1984 को फेमेली सेटलमेन्ट होकर आपसी पारिवारिक समझौता कर लिया गया था तथा उन्होंने यह भी कथन किया कि यह समझौता संवत् 2023 सन् 1966 में पुनः दोहराया गया, परंतु इस समझौते संबंधी कोई पत्रादि उन्होने न्यायालय में प्रस्तुत नही किया है, जिससे यह समझौता होना प्रमाणित नहीं है। इसके विपरीत अतिरिक्त लिखित बहस के साथ समझौता पत्र के लेखक भेरुलाल जैन के सिविल न्यायालय में दिये गये बयान की प्रति पेश की उसके अनुसार दिनांक 18.09.1984 को पारिवारिक समझौता जिसे उस समय ग्राम पंचायत गुडली के सरपंच श्री भैरूलाल जी जैन द्वारा लिखा गया परन्तु इसे लिखने के बाद लागू करने से पहले उसी समय पुनः विवाद हो गया एवं यह समझौता लागू नहीं किया जा सका। इस तथ्य का प्रमाणीकरण समझौते के लेखक श्री भैरूलाल जी जैन द्वारा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मावली के न्यायालय में दिये गये बयान दिनांक 08.08.1996 से हो रहा है। इससे प्रकट हो रहा है कि तथाकथित पारिवारिक समझौता दिनांक 18.09.1984 लिखा तो गया परन्तु वह लागू नहीं किया जा सका, इसलिए पारिवारिक समझौते से भूमि का बंटवारा होना प्रमाणित नहीं है।

मूल वाद के विचारण के दौरान विचाराधीन भूमि पर जमाबन्दी में प्रार्थी एवं विपक्षी के नाम पर दर्ज होने के आधार पर विपक्षीगण भूमि पर दखलअंदाजी करते थे। इसलिए विपक्षीगण के नाम दर्ज नामन्तकरण का प्रकरण संख्या 47/1988 एवं 223/2010 उपखण्ड अधिकारी न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार अप्रार्थीगणों के मृत्यु के बाद उनके वारीसान के नाम पर विरासत के इंतकाल दर्ज नहीं किये जाने संबंधी निर्देश का अंकन जमाबन्दी में अंकन दिनांक 21.02.2018 को किया हुआ है। परन्तु इसकी अनदेखी करके दिनांक 02.06.2018 को अप्रार्थी भंवर लाल के वारीसान के नाम पर इंतकाल दर्ज कर दिया गया है। साथ ही उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर के प्रकरण संख्या 47/88 अपील निर्णय दिनांक 14.02.1990 की संलग्न फोटोप्रति अनुसार नामान्तकरण की अपील की गई थी। जिसमें न्यायालय द्वारा यह कथन किया गया की **विवादग्रस्त आराजी बाबत अपीलाण्ट ने [illegible] न्यायालय में दावा पेश किया हुआ है जो विचाराधीन है। इसलिये न्यायहित में उचित है [illegible] नामान्तरकरण की कार्यवाही जो समरी**

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:27:41 IST
Reason: SelfAttested

प्रोसेडिंग है उसको वाद के निर्णय तक स्टे रखा जावे। उक्त निर्णय के संबंध में अपील की गई है या नही? इस संबंध में उभय पक्ष द्वारा कोई कथन नही किया गया। न्यायालय का मानना है कि यदि उक्त निर्णय की अपील नही की गई थी तो प्रकरण में स्टे जारी था। फिर भी विरासत की कार्यवाही करवाने से जाहीर होता है कि विपक्षीगण, प्रार्थीगण को नुकसान पहुंचाना चाह रहे है।

विपक्षीगण ने यह भी कथन किया कि आज की तारीख में आप उपखण्ड अधिकारी न्यायालय में विचाराधीन भूमि का कोई वाद लम्बित नही है तथा प्रकरण राजस्व मण्डल में विचाराधीन होने से प्रार्थी, विपक्षीगण के पिता के स्वर्गवास हो जाने से उनके कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र राजस्व मण्डल में प्रार्थीगण द्वारा ही प्रस्तुत किया जाना है तथा विशेष कथन में यह भी अंकित किया गया कि यह प्रकरण आप न्यायालय में चलने योग्य नही होना बता रहे है, परन्तु विपक्षीगण का कथन निराधार है क्योंकि प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने बहस के दौरान राजस्व मण्डल में विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी में नाम कायमी हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की फोटो प्रतियां प्रस्तुत की। निगरानीकर्ता भंवरलाल का स्वर्गवास होने पर विपक्षीगण संख्या 01 भंवरलाल के उत्तराधिकारी शिवशंकर एवं अन्य का प्रथम दृष्टया कर्तव्य था कि वह अपने पिता की मृत्यु का प्रमाण पत्र राजस्व मण्डल में प्रस्तुत करके अपना नाम कायम कराते परन्तु उन्होंने राजस्व मण्डल में प्रस्तुत निगरानी के आधार पर विचाराधीन भूमि के मूल वाद का निर्णय होने से रोके रखा, इसलिए उन्होनें राजस्व मण्डल में न तो अपने पिता निगरानीकर्ता भंवरलाल की मृत्यु की सूचना दी एवं न ही कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। साथ ही अपील स्वयं विपक्षीगण द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में की गई है। इसलिए अपील में स्वयं विपक्षीगण का कर्तव्य है कि वारिस कायमी करावें। विपक्षीगण का यह कथन भी अस्वीकार्य है कि विचाराधीन भूमि के मूल वाद की पत्रावली उपखण्ड अधिकारी न्यायालय में लम्बित नही है, जबकि मूल पत्रावली माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी की पत्रावली के साथ संलग्न होकर विचाराधीन है। मूल पत्रावली में अभी तक कोई निर्णय पारित नही किया गया है। इन परिस्थितियों में विचाराधीन भूमि का मूल वाद उपखण्ड अधिकारी न्यायालय में ही लम्बित माना जावेगा तथा उत्पन्न नई परिस्थितियों में प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए सक्षम है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में पाया जाता है।

2. ***सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु :–*** विपक्षीगण द्वारा जमाबन्दी में नाम अंकन कराकर भूमि को विक्रय हस्तान्तरण करके खुर्द बुर्द कर दी जावेगी, तो अनावश्यक मुकदमें बढेंगे एवं वाद की [illegible] बढ़ेगी। प्रार्थी के वाद का कोई औचित्य नही रहेगा। साथ ही बाहुबल से प्रार्थीगण को [illegible] से बेदखल कर देते है तो प्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:27:41 IST
Reason: SelfAttested

को अपूरणीय क्षति होगी। वादग्रस्त भूमि में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो इससे उभय पक्ष का कोई हित प्रभावित नही होगा। इसलिए अपूरणीय क्षति का बिन्दु एवं सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किये जाते है।

शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि के आधार पर तय किये जायेगे। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन का बिन्दु व अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर न्यायालय हाजा द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 22.01.2025 को मूल वाद के निस्तारण तक यथावत रखी जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय सरे ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:27:41 IST
Reason: SelfAttested